न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, हनुमानगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी– संजू पारीक आर.ए.एस.

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या–59 / 2025

1. कविता पत्नी रामकुमार जाति जाट निवासी निवासी कानसर तहसील नोहर जिला

–अपीलान्ट

बनाम

1. रामकुमार पुत्र जगमाल जाति जाट निवासी कानसर, तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर, तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

–रेस्पोडेन्टस

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़) सत्यमेव जयते

उपस्थितः– श्री भरतसिंह बैनिवाल अधिवक्ता अपीलांट।

निर्णय दिनांकः– 15/04/2026

अपीलांट कविता पत्नी रामकुमार जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर द्वारा नामान्तरण सं. 4185 स्वीकृत आदेश दिनांक 12.09.2025 रोही मौजा कानसर अदालत नायब तहसीलदार राजस्व खुईया अपास्त करनें बाबत अपील पेश की गई, जिसके संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है–

1. अपीलाधीन नामान्तरण सं. 4185 दिनांक 12.09.2025 रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता संख्या 943 / 294 के खसरा न. 1114 की 5.1090 हैक्टर भूमि में रेस्पोडेन्ट सं. 1 के नाम बअदालत नायब तहसीलदार राजस्व खुईया तहसील नोहर द्वारा दर्ज व मंजूर किया गया है, विधि की अवहेलना में एक पक्षीय तौर से पारित किया गया है, जो अपास्तनीय है।
2. रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता संख्या 943 / 294 के खसरा नं. 1114 की 5.1090 हैक्टर भूमि खातेदारी कृषि भूमि है, जो वर्तमान में जमाबन्दी में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम से विधि विरूद्ध तरीके दर्ज की गई है।
3. उक्त भूमि अपीलान्ट की जरिये बैयनामा खरीदशुदा भूमि है, जिसे खरीद के समय से अपीलान्ट काबिज चली आ रही है तथा अ[illegible] अपने नाम की जमाबन्दी चाही तो पता चला की उपरोक्त सम्पू[illegible] ने रेस्पोडेन्ट संख्या 2 साथ साजबाज होकर अपने नाम दर्ज करवा ली, [illegible] की कतई विधि [illegible]द्ध है तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:44:53 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

रेस्पोडेन्ट के पक्ष में स्वीकृत नामान्तकरण 4185 दिनांक 12.09.2025 जो की अपीलान्ट के हक व अधिकारों के मुकाबले शुन्य व प्रभावहीन है।

4. रोही मौजा भनाई तहसील भादरा के ख.नं. 360 की 9.3200 हैक्टर भूमि बारानी खातेदारी भूमि स्थित है जिसमें रेस्पोडेन्ट सं. 1 के पक्ष में 1529/4660 हिस्सा भूमि का दान की गई, जो महावीर द्वारा करवाई गई, सुखवीर का 3131/9320 हिस्सा, सत्यवान का 3131/9320 हिस्सा भूमि।

5. अपीलान्ट ने उक्त भूमि अपने नाम से दर्ज की बजाय रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम दर्ज होने की सूचना चाही तो हल्का पटवारी ने कहा की उपरोक्त भूमि, जो की जरिये मुख्तयारनामा रामप्रताप बाजिया पुत्र जगमाल बाजिया जाति जाट निवासी कानसर ने सबरजिस्ट्रार नोहर से जरिये दान–पत्र दिनांक 16.10.2024 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में दान–पत्र करवा दी, जिसके मुताबिक नामान्तकरण संख्या 4185 दर्ज व मंजूर हुआ है।

6. उक्त मुख्तयारनामा की अपीलान्ट ने छानबीन की तो पता चला की फर्जी तरीके से मुख्तारनामा तैयार कर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने उक्त सम्पूर्ण भूमि जो की अपीलान्ट की खरीदशुदा भूमि को हड़प लिया, जो की नामान्तकरण संख्या 4185 दिनांक 12.09.2025 निरस्त करवाने के लिये अपील पेश कि जा रही है।

7. रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता संख्या 943/294 के खसरा नं. 1114 की 5.1090 हैक्टर भूमि का कब्जा काश्त हमेशा अपीलान्ट के पास रहा है तथा वर्तमान में भी कब्जा काश्त है। दान–पत्र में प्रथम शर्त दान–पत्र के साथ कब्जा काश्त दिया जाना होता है अन्यथा शुन्य होता है, बिना कब्जे का दान किये दान–पत्र का कोई कानूनी महत्व नहीं होता है, वाद भूमि पर रेस्पोडेन्ट का कभी कोई कब्जा नही रहा है, मातहत अदालत के कब्जा काश्त की जांच किये बिना ही अपीलाधीन नामान्तरण दर्ज किया है, जो अपास्तनीय है।

जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

8. अपीलाधीन नामान्तरण आदेश सख्या 4185 दिनांक 12.09.2025 रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता संख्या 943/294 के खसरा नं. 1114 की 5.1090 हैक्टर भूमि, जो रेस्पोडेन्ट सं. 1 के नाम दर्ज की गई जबकि उवत्त भूमि में अपीलान्ट की खरीदशुदा खातेदार काश्तकार है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 के नाम भूमि गलत दर्ज की गई है तथा अनुचित तरीके से रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने अपना नाम दर्ज करवाया है। अपीलाधीन नामान्तरण दर्ज करवाने से पूर्व अपीलान्ट को कोई नोटिस अथवा सूचना नहीं दी गई, उन्हें सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया। अपीलान्ट को अपीलाधीन नामान्तरण का दिनांक 12.09.2025 को पता चला, जिस पर रेस्पोडेन्ट सं. 1 को अपीलान्ट ने उक्त अपीलाधीन नामान्तरण को निरस्त करवाने का कहा जिस पर रेस्पोडेन्ट सं.1 स्पष्ट मना कर दिया अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:44:53 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

प्रकरण संख्या 59/2025 अनवान कविता बनाम रामकुमार आदि

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन नामान्तरण सं. 4185 स्वीकृत आदेश दिनांक 12.09.2025 अदालत नायब तहसीलदार राजस्व खुईया रोही मौजा कानसर में रेस्पोडेन्ट सं. 1 के पक्ष में पारित नामान्तकरण अपास्त फरमाया जावे।

अपील पेश होनें पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टस को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से अपीलाधीन नामान्तरण की मूल प्रति तलब किया गया। अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन कि न्यायालय गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करनें बाबत निवेदन किया।

अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया गया एंव तलबशुदा पत्रावली का अवलोकन किया गया। नायब तहसीलदार खुईयां द्वारा नामान्तरण संख्या 4185 दिनांक 12.09.2025 को रजिस्ट्रर्ड दानपात्र के आधार पर तस्दीक किया गया है। न्यायालय के मत में नायब तहसीलदार खुईया द्वारा नामान्तरण संख्या 4185 दिनांक 12.09.2025 को तस्दीक करनें में कोई त्रुटि कारित नहीं की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तस्दीक नामान्तरण विधि सम्मत है। अतः दानपात्र के आधार पर स्वीकृत नामान्तरण संख्या 4185 दिनांक 12.09.2025 को हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होनें से खारिज की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न कर लौटाई जावें। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 15/4/26 को सरेइजलास सुनाया गया।

अपर जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

(संजू पारीक आर.ए.एस)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:44:53 IST
Reason: SelfAttested